बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
बिहार कौशल विकास मिशन

|| कार्यालय आदेश ||

आदेश संख्या – बी0एस0डी0एम0 / Domain / 81 / 2023-3531 पटना, दिनांकः 12.11.2024

बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा श्रम संसाधन विभाग के लिए डोमेन स्किलिंग के अन्तर्गत पोर्टल पर विभिन्न प्रक्रियाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षकों का पंजीकरण कराया जाता है। वर्तमान में हुए कुछ स्थलीय जाँच से यह स्पष्ट है कि कुछ प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसियों द्वारा प्रशिक्षक के शैक्षणिक अर्हता एवं कार्यानुभव के विरुद्ध गलत या त्रुटिपूर्ण अंक–पत्र/प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो अत्यंत खेदजनक है। इस कृत्य से न केवल संबंधित संस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह उठ खड़ा हुआ है, बल्कि ये डोमेन स्किलिंग के प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के प्रयास को विफल करने में एक बड़े कारक के रुप में उभरा है। बिहार कौशल विकास मिशन ऐसे किसी भी प्रयास को अनुचित मानते हुए संबंधित एजेंसियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई किए जाने हेतु कृतसंकल्पित है।

अतएव, उपरोक्त वर्णित मामलों की सम्यक् समीक्षा करने के उपरांत मिशन के स्तर पर निम्नांकित निर्णय लिया गया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगाः

- सभी प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसियों के लिए बिहार कौशल विकास मिशन के पोर्टल पर प्रस्तावित प्रशिक्षकों के पंजीकरण हेतु प्रामाणिक दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा, जिसकी सत्यता की प्राथमिक जाँच की जिम्मेवारी संबंधित प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसियों की ही होगी।
- किसी भी रुप में दस्तावेजों की प्रामाणिकता के साथ छेड़छाड़ या उसमें बदलाव मान्य नहीं होगा और इसके लिए पूर्ण रुप से प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसी जिम्मेवार होगी।
- स्थलीय जाँच के क्रम में जिन प्रशिक्षकों के दस्तावेजों के सत्यापन में यदि कोई त्रुटि पायी जाती है या सिद्ध होती है, तो संबंधित प्रशिक्षक को मिशन के किसी भी योजना/कार्यक्रम में भाग लेने पर रोक लगा दी जाएगी।
- साथ ही, संबंधित एजेंसी पर मिशन द्वारा स्थापित नियम के अनुसार विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी या संबंधित विभागों को यथोचित कार्रवाई हेतु अनुशंसित कर दिया जाएगा।

उपरोक्त आदेश पर सचिव, श्रम संसाधन विभाग सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

12/11/24

(सुरेश कुमार सिंह)
मिशन निदेशक,
बिहार कौशल विकास मिशन।

ज्ञापांक–बी0एस0डी0एम0 / Domain/81 / 2023-3531 पटना, दिनांकः 12.11.2024

प्रतिलिपिः

1. डोमेन स्किलिंग (भती–प्रशिक्षण–तैनाती, आर0पी0एल0 सहित) अन्तर्गत सभी प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. सभी संबंधित विभागों के नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. मिशन प्रबंधक (आई0टी0),बी0एस0डी0एम0 / परियोजना निदेशक, E&Y / परियोजना निदेशक, MKCL / Team Lead, FMAS बी0एस0डी0एम0 / सभी संबंधित SPMU सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बी0एस0डी0एम0 को सूचनार्थ प्रेषित।
5. सचिव, श्रम संसाधन विभाग सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बी0एस0डी0एम के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

12/11/24

मिशन निदेशक,
बिहार कौशल विकास मिशन।